भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3882
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार हेतु निधि

3882. **श्री अजेन्द्र सिंह लोधी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा में सुधार हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ख) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में स्थापित किए गए नए विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों का जिलावार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है।

सरकार द्वारा शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में विभिन्न घटकों जैसे बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान, महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान, नए मॉडल डिग्री महाविद्यालय तथा जेंडर समावेशन और समता पहल के तहत सहायता के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के विभिन्न घटकों (14 विश्वविद्यालयों और 51 महाविद्यालयों सहित) के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए कुल 1005.01 करोड़ रुपये की लागत की 66 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का उत्तरदायित्व है। राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यात्मक हैं और राज्य विधान के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

*****